पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1504
दिनांक-21.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक 24.07.2026 को वादिनी श्रीमती सुधा मिश्रा पत्नी राम प्रसाद निवासिनी - ग्राम रामापुर। थाना तरबगंज, जनपर गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी अभियुक्त विकास त्रिपाठी नि0 गोवर्धन इन्क्लेव, थाना पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा उनकी पुत्री/मृतका को प्रताणित करना जिससे वादिनी की पुत्री द्वारा आत्हत्या कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 387/2026 धारा 108 बीएनएस थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ पंजीकृत कराया गया था।
- प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2026 को थाना पीजीआई पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त विकास त्रिपाठी पुत्र दिनेश कुमार त्रिपाठी पता उपरोक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

- विकास त्रिपाठी पुत्र दिनेश कुमार त्रिपाठी मूल पता – विद्या विहार कालोनी थाना बकेवर जनपद इटावा वर्तमान पता-गोवर्धन इन्क्लेव वृन्दावन योजना थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 31 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0 387/2026 धारा 108 बीएनएस थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1506
दिनांक-21.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-नगराम

- **थाना नगराम पुलिस द्वारा इन्दिरानहर में कूद कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक को डूबने से बचाया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 21.08.2026 को आम जनमानस द्वारा थाना कार्यालय को सूचना मिली कि एक व्यक्ति इन्दिरा नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया है।

उक्त सूचना पर तत्काल नगराम पुलिस मौके पर पहुँचकर इन्दिरा नहर में डूब रहे युवक को सकुशल बचाया गया। युवक उम्र 25 वर्ष कंचनखेडा मजरा समेसी थाना नगराम लखनऊ का निवासी है।

पूछताछ पर युवक ने आत्महत्या करने का कारण प्रेम प्रसंग बताया। युवक को समझा-बुझाकर घर वालो को सुपुर्द किया गया।

परिवारीजन द्वारा युवक को जिन्दा देखकर बहुत प्रफुल्लित हुए एवं नगराम पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

02-बचाने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 हिमांशु पाण्डेय
2. उ0नि0 राकेश कुमार मिश्रा
3. आरक्षी पवन कुमार यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1503
दिनांक-21.08.2026

जोन-दक्षिणी/थाना मोहनलालगंज

मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा रंगदारी मांगने व धमकी देने वाले बर्खास्त सिपाही को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी/प्रार्थी मनीष सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गोपालखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें विपक्षी रोशन रजा, जो पूर्व में सिपाही पद पर कार्यरत था एवं वर्तमान समय में बर्खास्त है, इसके द्वारा दिनांक 15.08.2026 को वादी के साथ गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में थाना थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 307/2026, धारा 351(3)/352 बीएनएस लखनऊ पर पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.08.2026 को विपक्षी रोशन रजा द्वारा प्रार्थी को रोककर पूर्व में दर्ज कराए गए मुकदमे में खर्च हुए लगभग ₹50,000 की मांग करते हुए जान से मारने की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-313/2026, धारा 308(6)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2026 को अभियुक्त बर्खास्त सिपाही रोशन रजा पुत्र गुलाम रसूल, निवासी शेखवानिया बुजुर्ग, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर, हाल पता पाण्डेय कॉम्प्लेक्स, कस्बा मोहनलालगंज, लखनऊ, उम्र करीब 37 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-**रोशन रजा पुत्र गुलाम रसूल**, निवासी शेखवानिया बुजुर्ग, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर, हाल पता-पाण्डेय कॉम्प्लेक्स, कस्बा मोहनलालगंज, लखनऊ, उम्र करीब 37 वर्ष।

06-अनावरित अभियोग-

- 01-मु0अ0सं0 313/2026, धारा 308(6)/351(3) बीएनएस, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ।

05- आपराधिक इतिहास-

बर्खास्त सिपाही रोशन रजा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 307/2026, धारा 351(3)/352 बीएनएस, मोहनलालगंज, लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1497
दिनांक-21.08.2026

जोन-उत्तरी / थाना- महिगवां

- **स्वाट/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना महिगवां की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 02 बालअपचारियों को संरक्षण में लिया गया।**
- **अभियुक्तों/ बालअपचारियों के कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन, कुल ₹ 36,700/- नगद, घटना प्रयुक्त वाहन थार कार व आला कत्ल 01 अदद लकड़ी के फट्टे बरामद।**
- **आपसी विवाद के बाद एकत्र होकर लाठीडण्डों एवं- लातघूंसों से मारपीट करने के दौरान घायल व्यक्ति की - मृत्यु होने की घटना में संलिप्तता प्रकाश में आई।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.08.2026 को मृतक के भाई श्री सोनू सिंह पुत्र स्व0 रामकरन सिंह निवासी ग्राम अटेसुआ थाना इटौंजा लखनऊ द्वारा थाना महिगवां पर लिखित तहरीर दी गई कि उसके भाई मोनू उर्फ दिलीप सिंह के साथ अज्ञात विपक्षीगण द्वारा मारपीट करना, जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो जाने के संबंध में दिया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महिगवां पर मु0अ0सं0 126/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण के निर्देशन एवं थानाध्यक्ष महिगवां के पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर लगातार सुरागरसी की जा रही थी-

दिनांक 20.08.2026 को थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घटना में शामिल चार व्यक्ति अतरौरा जाने वाले मार्ग पर पुराने भट्टे के आगे गांव से पूर्व स्थित मन्दिर के चबूतरे पर बैठे हुए हैं तथा कहीं भागने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 सुनील कुमार, उ0नि0 अंसार अहमद एवं का0 शैलेन्द्र यादव को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबन्दी की गई। पुलिस को देखकर उक्त चारों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेरघार कर समय मौके से पकड़ लिया गया।

02-अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.08.2026 की शाम शाहपुर स्थित देशी शराब के ठेके पर मोनू उर्फ दिलीप सिंह का सचिन यादव के साथ विवाद हो गया था। सचिन यादव द्वारा अपने साथियों को फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद अभिषेक यादव उर्फ शेखर, अनुज सिंह, कुलदीप उर्फ टेढ़े व अन्य 02 बाल अपचारी साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौके पर पहुंचने के उपरान्त सभी ने मिलकर उक्त व्यक्ति के साथ **लात घूंसों एवं-डण्डे से मारपीट की**, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद घटना में शामिल व्यक्ति मौके से फरार हो गए। बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मारपीट में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसके पश्चात वे गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्तता के पर्याप्त आधार पाए जाने पर 02 व्यक्तियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया।

दिनांक 21.08.2026 को अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन थार कार वाहन सं0 यूपी 32 एनएस 9090 तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद लकड़ी के फट्टे को बरामद किया गया , गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा संरक्षण में लिये गये बालअपचारियों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 126/2026, धारा 103(1) बीएनएस, थाना महिगवां, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण / व्यवसाय -

1. अभिषेक यादव उर्फ शेखर पुत्र राजेन्द्र यादव, निवासी ग्राम दुर्जनपुर अमानीगंज, थाना अटरिया, जनपद सीतापुर, हाल पता न्यूरी फैब्रिकेटर, यस नगर, फैजुल्लागंज, थाना मड़ियांव, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अनुज सिंह पुत्र राजेश सिंह, निवासी ग्राम नवीकोट नंदना, थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ, उम्र करीब 33 वर्ष।
3. 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

05- अभियुक्त अनुज सिंह उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

4. मु0अ0सं0 425/2023, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना सरोजनीनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-बरामदगी -

- 04 अदद मोबाइल फोन,
- कुल ₹ 36,700/- नगद,
- घटना प्रयुक्त वाहन थार कार
- आला कत्ल 01 अदद लकड़ी

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट/सर्विलांस टीम डीसीपी	थाना महिगवां पुलिस टीम
1.स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार	1. थानाध्यक्ष राधेश्याम मोर्य (टीम प्रभारी)
2. हे0का0 अवधेश गिरी	2. उ0नि0 मनीष मिश्रा, थाना महिगवां, लखनऊ।
3. हे0का0 नदीम	3. उ0नि0 संतोष कुमार, थाना महिगवां, लखनऊ।
4. हे0का0 संतोष कुमार	4. उ0नि0 अजय पाल, थाना महिगवां, लखनऊ।
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम	5. उ0नि0 सुनील कुमार, थाना महिगवां,
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह	6. उ0नि0 अंसार अहमद, थाना महिगवां, लखनऊ।
7. का0 विशेष दुहूण	
8. का0 अमन शुक्ला	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 -1501
दिनांक- 21.08.2026

जोन – मध्य / थाना – हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा की बड़ी कार्रवाई — चोरी की स्कूटी व गले की चैन बरामद कर 02 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **बरामदशुदा स्कूटी, जो थाना हुसैनगंज क्षेत्र से चोरी की गई थी, उक्त स्कूटी का प्रयोग दोनों अभियुक्तों द्वारा थाना सरोजनीनगर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना कारित करने में किया गया था।**
- **चोरी की स्कूटी वाहन संख्या UP32 HJ 1054 एवं थाना सरोजनीनगर क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटना से सम्बन्धित एक अदद पीली धातु की चैन बरामद ।**

01- कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशानुसार, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त (मध्य) के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा सहायक पुलिस आयुक्त (हजरतगंज) के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष हुसैनगंज के नेतृत्व में हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0065/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. किशोर शर्मा पुत्र स्व0 विजय शर्मा निवासी झुग्गी झोपड़ी श्रम विहार नगर मवैया थाना आलमबाग वर्तमान पता- किराये का मकान तृतीय तल डूडा कालोनी, निकट पावर हाउस चौराहा थाना दुबग्गा लखनऊ मूल पता ग्राम इंदूपुर थाना गौरी बाजार जिला देवरिया उम्र करीब 55 वर्ष 2. अब्दुल कयूम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी जुही परमपुरवा थाना जुही जनपद कानपुर नगर हालपता किराए का मकान बेगरिया रोड बेलिमर्टिन स्कूट के पास थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनकी कब्जे व निशादेही से चोरी की गयी स्कूटी व एक अदद पीली धातु चैन बरामद हुयी है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 09.05.2026 को शिकायतकर्ता / वादी मुकदमा श्री अनुज अग्रवाल पुत्र स्व0 हरीशचन्द्र अग्रवाल निवासी 45, कैण्ट रोड़ मुरलीनगर हुसैनगंज लखनऊ द्वारा यह सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की गाडी एक्टिवा स्कूटी वाहन सं0 UP32 HJ 1054 को चोरी कर ले गये है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0065/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ।

पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. किशोर शर्मा 2. अब्दुल कयूम को दिनांक 21.08.2026 को उनके निवास स्थान से किशोर शर्मा को समय करीब 01.10 बजे व अब्दुल कयूम को समय करीब 02.10 बजे गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे व निशादेही से स्कूटी वाहन संख्या UP32 HJ 1054 व पीली धातु की एक अदद चैन बरामद किया गया है।

अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगण किशोर शर्मा एवं अब्दुल कयूम से नियमानुसार पृथक-पृथक पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे दोनों आपस में मिलकर चोरी एवं छिनैती जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते है तथा ऐसी घटनाओं से प्राप्त रूपयो का उपयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं जीवन - यापन के लिए करते है।

अभियुक्तगण से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि करीब 03½ माह पूर्व हम लोगो ने थाना हुसैनगंज क्षेत्र के मुरलीनगर से एक स्कूटी चोरी की थी। चोरी की गई उक्त स्कूटी को हम दोनों लोग अपने कब्जे में रखकर उसका प्रयोग आने-जाने तथा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता था और इसी चोरी की स्कूटी से हम दोनो लोग थाना सरोजनीनगर क्षेत्र गये थे। जहां हम दोनों लोगो ने मिलकर एक महिला के गले से चैन छीनने की घटना कारित की थी तथा घटना के बाद हम दोनों उक्त स्कूटी से मौके से फरार हो गए थे।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया कि वे दोनों मिलकर पूर्व में भी चोरी एवं छिनैती की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं तथा इन घटनाओं से प्राप्त धनराशि से अपनी दैनिक जरूरतों एवं अन्य खर्चों की पूर्ति करते हुए जीवन-यापन करते थे।

03- अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0065/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0316/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

04- बरामदगी का विवरण -

- एक अदद चोरी की स्कूटी नं0 UP32 HJ 1054 बरामद।
- एक अदद गले की चैन पीली धातु।

05- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. किशोर शर्मा पुत्र स्व0 विजय शर्मा निवासी झुग्गी झोपड़ी श्रम विहार नगर मवैया थाना आलमबाग वर्तमान पता - किराये का मकान तृतीय तल डूडा कालोनी, निकट पावर हाउस चौराहा थाना दुबग्गा लखनऊ मूल पता ग्राम इंदूपुर थाना गौरी बाजार जिला देवरिया उम्र करीब 55 वर्ष।
2. अब्दुल कयूम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी जुही परमपुरवा थाना जुही जनपद कानपुर नगर हालपता का किराए का मकान बेगरिया रोड बेलिमर्टिन स्कूट के पास थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 58 वर्ष।

06 - अभियुक्त अब्दुल कयूम का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 0473/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0528/2019 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना हसनगंज जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0413/2019 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना विकासनगर जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 0426/2019 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना विकासनगर जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 0427/2019 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना विकासनगर जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 0018/2026 धारा 305(C)/317(2) बी0एन0एस0 थाना जी0आर0पी0 चारबाग लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 0065/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 0316/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

07-अभियुक्त किशोर शर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0154/2012 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना आलमबाग जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0015/2014 धारा 379/411/414 भा0द0वि0 थाना आलमबाग जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0367/2015 धारा 41/411 भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधि0 व 8/18/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना आलमबाग जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 0012/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना आलमबाग जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 0291/2017 धारा 379/411/414 भा0द0वि0 थाना चौक जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0 0371/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चौक जनपद लखनऊ।
7. मु0अ0सं0 0393/2017 धारा 379/411/414 भा0द0वि0 थाना चौक जनपद लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 0151/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चौक जनपद लखनऊ।
9. मु0अ0सं0 1429/2016 धारा 406/411 भा0द0वि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
10. मु0अ0सं0 1252/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
11. मु0अ0सं0 0882/2017 धारा 379 भा0द0वि0 थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ।
12. मु0अ0सं0 0888/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ।
13. मु0अ0सं0 0076/2014 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
14. मु0अ0सं0 0001/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ।
15. मु0अ0सं0 0080/2015 धारा 411 भा0द0वि0 व 41/102 द0प्र0सं0 थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ
16. मु0अ0सं0 0306/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ।
17. मु0अ0सं0 0027/2023 धारा 411/413 भा0द0वि0 थाना नाका हिण्डोला जनपद लखनऊ।
18. मु0अ0सं0 0004/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
19. मु0अ0सं0 0250/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
20. मु0अ0सं0 0600/2021 धारा 379/411/413 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
21. मु0अ0सं0 0699/2017 धारा 41/411/413/414 भा0द0वि0 थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ।
22. मु0अ0सं0 0377/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
23. मु0अ0सं0 0645/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
24. मु0अ0सं0 0222/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
25. मु0अ0सं0 0257/2011 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ।
26. मु0अ0सं0 0273/2011 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ।
27. मु0अ0सं0 0392/2011 धारा 41/411/413/420/468 भा0द0वि0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ।
28. मु0अ0सं0 0393/2011 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मडियांव जनपद लखनऊ।
29. मु0अ0सं0 0138/2010 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना मानकनगर जनपद लखनऊ।
30. मु0अ0सं0 0190/2009 धारा 379 भा0द0वि0 थाना मानकनगर जनपद लखनऊ।

31.मु0अ0सं0 0200/2009 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मानकनगर जनपद लखनऊ।
32.मु0अ0सं0 0201/2009 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मानकनगर जनपद लखनऊ।
33.मु0अ0सं0 0194/2012 धारा 379/411/419/420 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
34.मु0अ0सं0 0124/2011 धारा 102/411/411/413/413/414/419/420 भा0द0वि0 थाना गुडम्बा लखनऊ
35.मु0अ0सं0 0125/2011 धारा 25 आयुध अधि0 थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ।
36.मु0अ0सं0 0167/2011 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ।
37.मु0अ0सं0 0077/2003 थाना बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ।
38.मु0अ0सं0 0363/2003 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
39.मु0अ0सं0 0440/2003 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
40.मु0अ0सं0 0071/2015 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना हरवंश मोहाल कानपुर नगर।
41.मु0अ0सं 0187/2015 धारा 66डी आई0टी0 एक्ट थाना कोतवाली नगर कानपुर नगर।
42.मु0अ0सं0 0065/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
43.मु0अ0सं0 0316/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

08- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 गौरव सिंह, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
4. उ0नि0 अजय भारती, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
5. हे0का0 बलवन्त, सर्विलांस सेल मध्य जोन लखनऊ
6. का0 अजय चौधरी, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1496
दिनांक-21.08.2026

जोन- मध्य / थाना- हजरतगंज

- **प्रापर्टी हड़पने के उद्देश्य से मदरसा संचालक की हत्या के षणयंत्र करने वाले गिरोह के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर अभियोग का सफल अनावरण किया गया।**
- **घटना कारित करने हेतु इन्दिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास से मोटरसाइकिल चोरी की गयी।**
- **सुपारी लेकर घटना कारित करने के उद्देश्य से चोरी की मोटरसाइकिल से रेकी कर रहे गिरोह के सदस्यों को अवैध पिस्टल व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया**
- **पूछताछ पर अन्य सदस्यों व षणयंत्र के बारे में बताया, जिस पर गिरोह के सरगना सहित षणयंत्र में शामिल अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 01. मो0 शाहिद पुत्र मो॰ मुख्तार निवासी चोर घाटी खन्ना की तकिया, निकट ए0एस0एम0 पब्लिक स्कूल कैम्पबेल रोड थाना सहादतगंज लखनऊ, 02. मो0 जमीर पुत्र मो0 हसनैन निवासी म0न0 233/8 कोडे वाली गली पाटा नाला थाना चौक लखनऊ को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध पिस्टल व 05 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तगण 01. मो0 शाहिद, 02. मो0 जमीर उपरोक्त से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध पिस्टल / कारतूस के बारे में पूछा गया तो दोनो अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि अमन कुरैशी ने अपने मोबाइल में एक व्यक्ति की फोटो दिखाकर कहा था कि यह व्यक्ति रिवेरा कालोनी में रहता है, इसके सिर पर बाल नही है, यह शाम जिम जाता है इसकी हत्या करने के उद्देश्य से हम लोगो मोहल्ले में आये थे इसी को मारना है इसी की हत्या करने के उद्देश्य से हम लोग आये कि हम लोग पकड़ लिये गये। गिरफ्तारी फर्द के आधार पर दिनांक 19.08.2026 को मु0अ0स0- 176/26 धारा- 3(5)/303(2)/317(2) बीएनएस तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 01. मो0 शाहिद पुत्र मो॰ मुख्तार निवासी चोर घाटी खन्ना की तकिया, निकट ए0एस0एम0 पब्लिक स्कूल कैम्पबेल रोड थाना सहादतगंज लखनऊ, 02. मो0 जमीर पुत्र मो0 हसनैन निवासी म0न0 233/8 कोडे वाली गली पाटा नाला थाना चौक लखनऊ 03. अमन कुरैशी पुत्र अब्दुल रसीद उर्फ बब्लू नि0 426/545 चरही चमन मस्जिद के पीछे थाना सहादतगंज लखनऊ पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण 01. मो0 शाहिद 02. मो0 जमीर को दिनांक 19.08.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त में फरार अभियुक्त अमन कुरैशी पुत्र अब्दुल रसीद उर्फ बब्लू नि0 426/545 चरही चमन मस्जिद के पीछे थाना सहादतगंज लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, मध्य के निर्देशन में थाना हजरतगंज व सर्विलांस सेल मध्य जोन की संयुक्त पुलिस की 05 टीमे गठित की गयी। गठित पुलिस टीमो द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सुरागरसी पतारसी व सर्विलांस की सहायता से दिनांक 21.08.2026 को फरार अभियुक्त अमन कुरैशी पुत्र अब्दुल रसीद उर्फ बब्लू उपरोक्त को लक्ष्मण मेला पार्क के अन्दर से दिनांक 21.08.2026 समय करीब 02.15 ए0एम0 बजे पर गिरफ्तार किया गया था

प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. सोहैल अहमद सिद्दीकी पुत्र जुनैद अहमद निवासी म0न0 326/11 बी पुलगामा चौक थाना चौक लखनऊ, 02. मो0 फरहान सिद्दीकी पुत्र स्व0 गुलाम मोहम्मद निवासी म0न0 413/10 बी चढ़ाई माहू लाल चौक थाना चौक लखनऊ, 03. बिलाल हाशमी पुत्र स्व0 मो0 मुजतबा हाशमी निवासी न्यू फरीदीपुर भूहर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज लखनऊ को दिनांक 21.08.2026 समय लगभग 10.45 ए0एम0 बजे बैकुंठधाम बंधा रोड़ के नीचे बने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

02- पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

दिनांक 18.08.2026 को चोरी की मोटरसाइकिल से घूम रहे अभियुक्तगण 01. मो0 शाहिद 02. मो0 जमीर उपरोक्त को अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो को अमन कुरैशी पुत्र अब्दुल रसीद उर्फ बब्लू नि0 426/545 चरही चमन मस्जिद के पीछे थाना सहादतगंज लखनऊ द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए सुपारी दी गयी है और जो पिस्टल / कारतूस हमारे पास से मिला है उसे भी अमन कुरैशी उपरोक्त ने उपलब्ध कराया गया है। हम लोगों को 2 लाख रुपये में सुपारी दी गयी थी व पिस्टल उपलब्ध कराया गया था।

दिनांक 21.08.2026 को गिरफ्तार अभियुक्त अमन कुरैशी पुत्र अब्दुल रसीद उर्फ बब्लू नि0 426/545 चरही चमन मस्जिद के पीछे थाना सहादतगंज लखनऊ ने पूछताछ में बताया कि सोहैल अहमद सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी जो चौक के रहने वाले है के द्वारा मुझे इरफान अहमद को जान से मारने के लिये लड़को की व्यवस्था करने के लिये बताया था। तब मैने जेल गये दोनो लडके मो0 शाहिद व मो0 जमीर उपरोक्त को सोहैल अहमद सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी से मिलवाया था। चूंकि सोहैल अहमद सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी दोनो पेशे से वकील भी है इसलिये आसानी से उनकी बात पर सभी को भरोसा हो गया था कि कोई बात होगी तो जेल से आसानी से छूट जायेंगे। सोहैल अहमद सिद्दीकी द्वारा अपने मोबाइल में इरफान अहमद रिजवी की फोटो दिखाई थी और पहचान के लिये इरफान अहमद रिजवी की फोटो भी दिया गया था तथा मोबाइल फोन का प्रयोग करने के लिये मना किया गया। और चोरी की मोटर साइकिल व अलग से एक की-पैड मोबाइल फोन व सिम भी दिया था। जिससे घटना होने के बाद पता न चल सके और सम्पर्क के लिये दूसरा फोन व सिम का प्रयोग होने पर किसी को जानकारी न हो पाये। इरफान अहमद रिजवी की प्रापर्टी के लिये हत्या करने के लिये पूरी योजना की तैयारी लगभग 01 महिने पूर्व से ही चल रही थी घटना को कारित करने के लिये एक पिस्टल एवं कारतूस मो0 शाहिद व मो0 जमीर को दिया गया था और एक पैसन प्लस बाइक भी दिया गया था जो मै मो0 शाहिद व मो0 जमीर के साथ मिलकर हम तीनो लोगो के द्वारा इन्द्रिरा नगर मेट्रो स्टेशन के पास से चोरी किया गया था और । जब मो0 शाहिद व मो0 जमीर को कालोनी के लोगो ने पकड लिया तो मैं वहां से भाग निकला फिर जाकर सोहैल अहमद सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी से फोन पर जानकारी दिया तो मुझसे मिलने के लिये कैसरबाग में बुलाया फिर वहा जाकर मिला और पूरी जानकारी दिया था ।और मेरे पर्स में जो दो फोटो मिली है वह इरफान अहमद की है जिसे जान से मारना था दोनो फोटो सोहैल अहमद सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी द्वारा मुझे दिया गया था।

दिनांक 21.08.2026 को गिरफ्तार अभियुक्तगण 01. सोहैल अहमद सिद्दीकी पुत्र जुनैद अहमद निवासी म0न0 326/11 बी पुलगामा चौक थाना चौक जनपद लखनऊ, 02. मो0 फरहान सिद्दीकी पुत्र स्व0 गुलाम मोहम्मद निवासी म0न0 413/10 बी चढ़ाई माहू लाल चौक थाना चौक जनपद लखनऊ, 03. बिलाल हाशमी पुत्र स्व0 मो0 मुजतबा हाशमी निवासी न्यू फरीदीपुर भूहर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त बिलाल हाशमी इरफान अहमद की मदरसा जामिया अलनूर अल सलामिया मकबूल नगर फरीदीपुर का मैनेजर है और प्रापर्टी डीलर का भी काम करता है। मदरसे से सम्बन्धित दस्तावेज बिलाल के पास थे सोहैल अहमद सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी अक्सर पेशे से अधिवक्ता है। बिलाल हाशमी सोहैल सिद्दीकी व फरहान सिद्दीकी का क्लाइंट भी है। बिलाल हाशमी को इरफान अहमद के सभी प्रापर्टी के बारे में पता है तथा मदरसा जामिया अलनूर अल सलामिया मकबूल नगर फरीदीपुर की प्रापर्टी को हथियाने के उद्देश्य से 2 लाख रुपये में इरफान अहमद की हत्या की सुपारी तथा तथा हत्या के लिए पिस्टल व कारतूस दी गयी थी। इरफान अहमद की केवल बेटिया है और उनकी भी शादी हो गयी है जिससे उनकी प्रापर्टी असानी से नाम हो जायेगी।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अमन कुरैशी पुत्र अब्दुल रसीद उर्फ बब्लू नि0- 426/545 चरही चमन मस्जिद के पीछे थाना सहादतगंज लखनऊ,
2. सोहैल अहमद सिद्दीकी पुत्र जुनैद अहमद निवासी म0न0 326/11 बी पुलगामा चौक थाना चौक जनपद लखनऊ,
3. मो0 फरहान सिद्दीकी पुत्र स्व0 गुलाम मोहम्मद निवासी म0न0 413/10 बी चढ़ाई माहू लाल चौक थाना चौक जनपद लखनऊ,
4. बिलाल हाशमी पुत्र स्व0 मो0 मुजतबा हाशमी निवासी न्यू फरीदीपुर भूहर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ
5. मो0 शाहिद पुत्र मो० मुख्तार निवासी चोर घाटी खन्ना की तकिया, निकट ए0एस0एम0 पब्लिक स्कूल कैम्पबेल रोड थाना सहादतगंज लखनऊ,
6. मो0 जमीर पुत्र मो0 हसनैन निवासी म0न0 233/8 कोडे वाली गली पाटा नाला थाना चौक लखनऊ

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0- 176/26 धारा- 3(5)/303(2)/317(2)/61(2)क/62/308(6) बीएनएस तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली हजरतगंज लखनऊ

05- बरामदगी विवरण –

- एक अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन
- 05 अदद जिन्दा कारतूस
- चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल पैसन प्लस रजि0 न0 UP32QY8163, जिसकी चोरी के सम्बन्ध में थाना गाजीपुर लखनऊ पर मु0अ0स0 265/26 अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विकास कुमार सिंह, (विवेचक) थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 मधुकर सिंह चौकी प्रभारी सुल्तानगंज, थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 शिवम पाण्डेय चौकी प्रभारी नरही, थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 अकित बालियान थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 मनीष मिश्रा चौकी प्रभारी डालीबाग, थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 अनुराग त्रिवेदी थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
- आरक्षी अंसार अहमद थाना हजरतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

सर्विलांस टीम-

- उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल मध्य जोन कमिश्नरेट लखनऊ।
- हे0का0 आशीष मिश्रा,सर्विलांस सेल मध्य जोन कमिश्नरेट लखनऊ।
- हे0का0 आशीष सिंह सर्विलांस सेल मध्य जोन कमिश्नरेट लखनऊ।
- हे0का0 अभिनेन्द्र सिंह, सर्विलांस सेल मध्य जोन कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 बलवन्त, सर्विलांस सेल मध्य जोन कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 जीतेश यादव, सर्विलांस सेल मध्य जोन कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1502

दिनांक-21.08.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा स्कूटी चोरी का सफल अनावरण, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **CCTV फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चोरी गई TVS Jupiter स्कूटी बरामद।**
- **वारदात में प्रयुक्त सफेद कार बरामद कर धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत की गई सीज।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.08.26 को श्री सम्पूर्ण नन्द पाण्डेय निवासी-539Kha/319 बडी जुगौली गोमतीनगर लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि दिनांक 16/08/2026 को समय करीब 15.00 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की स्कूटी जिसका नम्बर UP-32-RS-6489 Jupter TVS चोरी कर लिया गया है। वादी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0286/2026 धारा - 303(2) BNS बनाम- अज्ञात पंजीकृत कर चोरी गयी स्कूटी व अज्ञात मुल्जिमान की तलाश प्रारम्भ की गयी। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक कार सं0 UP32RZ5159 रंग सफेद उक्त चोरी गयी स्कूटी के साथ साथ चलती दिखाई दी।

आज दिनांक 21.08.2026 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम तलाश पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि जरिये अभिसूचक जानकारी प्राप्त हुई कि सफेद रंग की कार सं0 UP32RZ5159 इस समय कन्वेन्शन सेन्टर मीना मार्केट ए ब्लाक इन्दिरानगर के पास मौजूद है जिसमें दो व्यक्ति कहीं जाने के फिराक में खडे हैं जिसमें से एक कार पर है एवं दूसरा स्कूटी पर है। इस सूचना पर पुलिस टीम बताये गये स्थान पर पहुँची तो दो व्यक्ति एक सफेद कार एवं स्कटी के साथ खडे हुए दिखायी दिये । जो पुलिस टीम को देखकर सकपका कर भागने लगे। जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में दोनों ने बताया कि हम दोनों नें दिनांक 15.08.2026 को अरावली मार्ग से इसी कार से जाकर स्कूटी चुराया था आप लोगों को देखकर हम डर गये इसलिए भागने लगे । नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम यश कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा उम्र 43 वर्ष हालपता कमता गांव थाना चिनहट लखनऊ मूल निवासी 2/221 प्रेमनगर शुक्लागंज पौनी रोड थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राहुल सैनी पुत्र स्व0 भारत प्रसाद सैनी उम्र 21 वर्ष निवासी 14/651 आवन्तीपुरम चमरौखा नगरनिगम थाना इन्दिरानगर लखनऊ बताया।

बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी गयी। एवं घटना में प्रयुक्त कार सं0 UP32RZ5159 को अंतर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही अभि0गण के विरूद्ध की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:-

1.यश कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा उम्र 43 वर्ष हालपता कमता गांव थाना चिनहट लखनऊ मूल निवासी 2/221 प्रेमनगर शुक्लागंज पौनी रोड थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

2.राहुल सैनी पुत्र स्व0 भारत प्रसाद सैनी उम्र 21 वर्ष निवासी 14/651 आवन्तीपुरम चमरौखा नगरनिगम थाना इन्दिरानगर लखनऊ

04-आपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 286/2026 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना गाजीपुर लखनऊ (अनावरित अभियोग)

05-बरामदगी:-

- 01 अदद स्कूटी वाहन सं0 UP32RS 6489 Jupter TVS रंग नीला
- घटना में प्रयुक्त कार सं0 UP32RZ5159 रंग सफेद अंतर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीजशुदा वाहन

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुश्री अर्चना,
2. उ0नि0 श्री सचिन कुमार,
3. उ0नि0 प्रवीण कुमार,
4. हे0का0 बालकुश,
5. हे0का0 अशोक कुमार,
6. हे0का0 कृष्णमणि राय,
7. का0 राजवीर कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1498
दिनांक-21.08.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.08.2026 को वादी द्वारा थाना गुडम्बा पर लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 330/2026, धारा 65(1)/123/351(3) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग में वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ नामजद अभियुक्तों द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

दिनांक 21.08.2026 को थाना गुडम्बा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कुकरैल जंगल पिकनिक स्पॉट पुलिया के पास से अभियोग में वांछित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अदनान अंसारी पुत्र मो0 इजहार, निवासी 532ख/509 मेहंदी टोला, थाना अलीगंज, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. हिशाम अंसारी उर्फ शावेज पुत्र मुनीर अहमद अंसारी, निवासी 532ख/121 मेहंदी टोला, थाना अलीगंज, लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त हिशाम अंसारी उर्फ शावेज ने बताया कि वह ए0सी0 सर्विसिंग का कार्य करता है तथा पीड़िता से इंस्टाग्राम के माध्यम से करीब 08 माह से परिचित है। अभियुक्तों द्वारा अपने पक्ष में अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में अपनी बात प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 330/2026, धारा 65(1)/123/351(3) बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. अति0 निरीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री दिवाकर सरोज
4. हे0का0 पारस नाथ वर्मा
5. का0 विजय नरेश